कार्यालय कलेक्टर, जबलपुर

आदेश

क्रमाक/ 5594 /वि0लि03/2021 जबलपुर दिनांक 21/10/2021

श्रमायुक्त म0प्र0 इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 1/11/अन्वे./पॉच/2015/29748–996, इन्दौर दिनांक 01.10.2021 के द्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों हेतु दिनांक 01.10.2021 से नई न्यूनतम वेतन की दरें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील की गई है।

म.प्र. शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 303/आर/577/92/नि–5/4 दिनांक 30 जून 1992 तथा मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा – 2 (घ) में निहित प्रावधान सहपठित म.प्र. श्रमविभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16–ए/82 दिनांक 25/05/1982 एवं अधिसूचना दिनांक 01.10.2021 के अनुशरण में, मैं श्री कर्मवीर शर्मा, (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला जबलपुर के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों हेतु संशोधित अनुसूची–(क) में दर्शाये अनुसार नई पुनरीक्षित दरें जो **दिनांक 01.10..2021 से दिनांक 31.03.2022** तक पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरें प
प्रभावशील होगी।

संशोधित अनुसूची – क

म.प्र. के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है :–

(विशेष टीप अनुसार 30 दिनों में विभाजित कर निर्धारित की गई है)

(ऑकडे रूपये में)

क्र.	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूलवेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउन्ड अप कर दैनिक दरें
1	अकुशल	6500=00	216=66	2300=00	76=66	8800=00	293=33	293=00
2	अर्द्धकुशल	7057=00	235=23	2600=00	86=66	9657=00	321=90	322=00
3	कुशल	8435=00	281=16	2600=00	86=66	11035=00	367=83	368=00
4	उच्च कुशल	9735=00	324=50	2600=00	86=66	12335=00	411=16	411=00

<u>(1) स्पष्टीकरण :–</u> मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांको को राउन्ड–अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–9–7/2006 /नियम/चार दिनांक 20 सितम्बर 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो उन्हें अगल उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

विशेष टीप :– उपर्युक्त अनुसूची –क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई है। इसलिये सभी कर्मचारियों एंव श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा । अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिये कोई कटौत्री नही की जा सकेगी।

(2) अकुशल श्रमिकों के लिये दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरों शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001त्र100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूवर जैसी भी स्थिति हो प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील महगाईभ त्ता घोषित किया जावेगा।

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है।

(न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 12 (1–ए)

21/10

(कर्मवीर शर्मा)
कलेक्टर,
जबलपुर

पृ0 क्रमाक/5594/वि0लि03/2021 जबलपुर दिनांक 21/10/2021

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, भोपाल।
2. सचिव, म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग, भोपाल।
3. श्रमायुक्त, म0प्र0 इन्दौर की ओर विभाग के पत्र दि0 25.09.2019 के अनुक्रम में सूचनार्थ।
4. महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर।
5. कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
6. कलेक्टर जिला मंडला/सिवनी/बालाघाट/छिन्दवाडा/डिन्डौरी/ कटनी।
7. पुलिस अधीक्षक, जबलपुर
8. आयुक्त नगर निगम जबलपुर।
9. सहायक श्रमायुक्त ,विजयनगर, स्टेटबैंक के पास जबलपुर।
10. जिला / सिटी कोषालय अधिकारी जबलपुर।
11. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जबलपुर की ओर सभी समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।
12. प्रशासनिक अधिकारी, छावनी बोर्ड कार्यालय, कैन्टोनमेंट, जबलपुर
13. मुख्य अभियंता,रानी अबंतीबाई सागर परियोजना, बरगी नगर जबलपुर
14. मुख्य अभियंता,जल संसाधन विभाग, बैनगंगा कछार, सिवनी
15. अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर/पाटन/सिहोरा/कुंडम जिला जबलपुर।
16. तहसीलदार, जबलपुर/पाटन/सिहोरा/शहपुरा/मंझौली/कुंडम/पनागर जिला जबलपुर।
17. प्रभारी अधिकारी,एन.आई.सी.कलेक्ट्रोरेट,जबलपुरकी बेबसाइट http://jabalpur.nic.in/ पर प्रदर्शित करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. प्रबंधक ई–गव्हर्नेस, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
19. सर्व जिला विभाग प्रमुख ....जिला जबलपुर की ओर इस निर्देश के साथ कि अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों में आदेश प्रसारित करने का कष्ट करें।

कलेक्टर,
जबलपुर